कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 03.02.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–16 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. मुफरान पुत्र एजाजुद्दीन नि0 फूलपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–39/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. सावित्री पत्नी राम निवास नि0 पीलखाना थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–53/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। बुधवार जनपद गोण्डा के थाना को0 नगर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त ललऊ ओझा पुत्र विन्देश्वरी प्रसाद नि0 सतई पुरवा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को 01 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर मु0अ0सं0–88/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

छेडछाड करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। बुधवार जनपद गोण्डा के थाना मनकापुर पुलिस ने छेडछाड करने के आरोपी अभियुक्त–रामहेत पुत्र शत्रुहन गिरि नि0 पूरे देवनाथ गोसाईपुरवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा को थाना मनकापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0–27/21, धारा 354क भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने थाना मनकापुर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना मनकापुर में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें मनकापुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गोसाई पुरवा मोड़ से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

चोरी की 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. राधेश्याम निषाद पुत्र रामजग निषाद नि0 दौलतपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल।
02. 01 अदद नाजायज चाकू।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–45/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–46/21, धारा 41.102 सी0आर0पी0सी0 व 411 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 03.02.2021 को थाना नवाबगंज के उ0नि0 गौरव सिंह मय हमराह के साथ क्षेत्र भम्रण में रवाना थे कि पटकौली मोड़ के पास एक व्यक्ति को संदिग्ध दिखने पर रोक टोककर चेक किया गया तो अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू व उसकी निशानदेही से 01 अदद स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल बरामद की गयी। पूछताछ के दौरान अभियुक्त राधेश्याम ने बताया गया कि कुछ दिन पूर्व उसने यह मोटरसाईकिल टिकरी जंगल से चोरी की थी। अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज में बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता–

01. उ0नि0 गौरव सिंह।
02. उ0नि0 सुनील कुमार।
03. हेड का0 विचित्रमणि।
04. हेड का0 सुधाकर शर्मा।